छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा मुद्रित सामग्री के वितरण हेतु परिवहन का दर निर्धारण हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

क्रमांक 3631/छ.ग.सं./प्रका./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/12/2025

// निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र शुल्क	रुपये 590/–(GST सहित)वापसी योग्य नही।
अमानत राशि	रुपये 25,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 11/12/2025 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11/12/2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 11/12/2025 समय 4:00 बजे अपरान्ह से

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–2512580, 81
Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक 3631 / छ.ग.सं. / प्रका. / 2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04 / 12 / 2025

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा मुद्रित सामग्री के वितरण हेतु परिवहन का दर निर्धारण हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा समय–समय पर शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, निगमों, मण्डलों, वि.वि., आयोग एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं हेतु कार्यादेश अनुसार मुद्रित सामग्री के वितरण हेतु परिवहन दर निर्धारण हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in** पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र शुल्क	रुपये 590 / –(GST सहित)वापसी योग्य नही।
अमानत राशि	रुपये 25,000 / –(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 11 / 12 / 2025 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11 / 12 / 2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 11 / 12 / 2025 समय 4:00 बजे अपरान्ह से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर(छ.ग)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा मुद्रित सामग्री के वितरण हेतु परिवहन का दर निर्धारण हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण हेतु नियम एवं शर्तें

(1) छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों का जनजागरुकता हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

(2) फर्म को मुद्रित सामग्री मुद्रणालय से उठाकर गन्तव्य स्थान तक सामग्री पहुंचाकर देना होगा जिसमें लोडिंग–अनलोडिंग, मजूदरी एवं अन्य सभी व्यय परिवहन व्यय में दर शामिल कर दर प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद से किसी प्रकार का अन्य व्यय देय नही होगा।

(3) निविदा में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड किया जाना है :–

3.1 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। पंरतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा।

3.2 पैन कार्ड की छायाप्रति अपलोड करना है।

3.3 Assessment Year 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 अथवा Assessment Year 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।

3.4 निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 590/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 25,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	:	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	:	**Indian Bank**
Branch Name	:	**Sector-27, Nawa Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	:	**20246301259**
IFSC Code No.	:	**IDIB000N571**

3.5 संस्था का वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 अथवा वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 तीन वर्षों में औसतन राशि रु. 05 लाख का टर्नओव्हर होना अनिवार्य है। चार्टड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओव्हर प्रमाण पत्र में यू.डी.आई.एन. का उल्लेख होना अनिवार्य है।

3.6 निविदाकार फर्म का स्वयं के मालिकाना हक में न्यूनतम 01 मालवाहक वाहन होना अनिवार्य है। जिसका रजिस्ट्रेशन व इश्योरेंस की प्रति निविदा के तकनीकी बिड में अपलोड करना अनिवार्य है।

3.7 निविदाकार फर्म को दुकान स्थापना पंजीयन अथवा गुमाश्ता अथवा जीएसटी पंजीयन की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

3.8 निर्धारित प्रारुप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है, भविष्य में कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं। शपथ–पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह् 3:00 बजे तक **छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, भण्डार शाखा कक्ष क्रमांक SF-10** में जमा किया जा सकता है।

4. फर्म को समय–समय पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा बताये गये स्थान पर स्वयं के व्यय पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्री को सुव्यस्थित रुप से मालवाहक वाहन से गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचानी होगी। इसके लिए संबंधित फर्म को अग्रिम राशि नही नही दी जाएगी। वाहन में सामग्री लोडिंग –अनलोडिंग कार्य अनुबंधित फर्म को करानी होगी।

5. फर्म को किसी भी कार्य के लिए सूचित किया जा सकता है। परिवहन कार्य के लिए निविदाकार संस्था को निर्धारित समय–सीमा के भीतर वाहन लगाना होगा। आवश्यकता और सामग्री के अनुसार छोटी या बड़ी वाहन लगायी जा सकती है।

6 परिवहन कार्य के लिए निविदा दरें निविदा स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक होने पर इस निविदा के नियम –शर्त एवं अनुमोदित न्यूनतम दर पर आगामी नवीन निविदा अनुमोदन होने तक अधिकतम 01 वर्ष की अवधि तक वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

7. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/– के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

8 .तकनिकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा पंजीकृत करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज/जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा।|

9 निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

10. कार्य में मालवाहक फर्म के द्वारा कोई लापहरवाही या कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर काली सूची में डाली जा सकती है और अमानत राशि जप्त भी की जा सकेगी।

11. सभी गाड़ियों में फास्ट टेग लगा होना अनिवार्य है एवं रास्ते में पड़ने वाले टोल नाका का व्यय अनुबंधित संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

12. कार्य के दौरान वाहन चालक का आदत व्यवहार शिष्ट होना चाहिए। वाहन चालक को परिवहन के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाना होगा, नियमों के उल्लंघन या सामग्री वितरण के समय विभागीय अधिकारियों से गलत व्यवहार करने की शिकायत मिलने पर मालवाहक फर्म स्वयं जिम्मेदार होगा।

13. छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।

14. वाहन, जन, धन, थर्ड पार्टी, सामग्री पंहुचाने के दौरान किसी प्रकार की क्षति अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संस्था के स्वयं की होगी। छत्तीसगढ़ संवाद इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः संस्था को बीमा/अन्य आवश्यक सुरक्षा करनी होगी।

15. पाठ्य पुस्तक, मुद्रण एवं प्रचार प्रसार सामग्री तथा विभिन्न प्रकार के प्रकाशन सामग्री का डोर टू डोर परिवहन अर्थात् संवाद या मुद्रणालय से सामग्री लोड कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के 146 विकासखंडो में बताये गये गन्तव्य स्थान तक पहुंचाकर अनलोंडिंग कर देना होगा।

16 आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :–किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं——————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा हेतु प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ——————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

छतीसगढ़ संवाद द्वारा मुद्रित सामग्री के वितरण हेतु परिवहन का दर निर्धारण हेतु वित्तीय प्रस्ताव

1 .

क्र.	विवरण	छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर सभी जिला मुख्यालय एवं विकासखंडो एवं छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा बताये गय स्थानों पर मालवाहक वाहन से परिवहन कार्य का दर		
		दर (जीएसटी अतिरिक्त)		
		वजन	सभी जिला मुख्यालयों हेतु	सभी विकासखंडों हेतु
1	परिवहन व्यय	1 –25 किलोग्राम हेतु प्रति किलोग्राम का दर		
		26 –250 किलोग्राम हेतु प्रति किलोग्राम का दर		
		251– 500 किलोग्राम हेतु प्रति किलोग्राम का दर		
		501 – 1000 किलोग्राम तक प्रति किलोग्राम का दर		

2 .

क्र.	विवरण	वजन	छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर सभी जिला मुख्यालय एवं विकासखंडो एवं छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा बताये गय स्थानों पर मालवाहक वाहन से परिवहन कार्य का दर दर (जीएसटी अतिरिक्त)
1	मालवाहक वाहन	1–2 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		2 से अधिक –3 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		3 से अधिक –4टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		4 से अधिक –7 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		7 से अधिक –10 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		10 से अधिक –15 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		15 से अधिक –20 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		20 से अधिक –30 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		30 से अधिक –50 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		50 से अधिक –100 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		101–500 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		501–1000 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		1001–1500 टन तक प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	
		1501 टन से अधिक हेतु प्रति टन प्रति किलोमीटर का दर	

नोट :–पाठ्य पुस्तक, मुद्रण एवं प्रचार प्रसार सामग्री तथा विभिन्न प्रकार के प्रकाशन सामग्री का डोर टू डोर परिवहन अर्थात् संवाद या मुद्रणालय से सामग्री लोड कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के 146 विकासखंडो में बताये गये गन्तव्य स्थान तक पहुंचाकर अनलोंडिंग कर देना होगा।

हस्ताक्षर
नाम/फर्म का नाम
पूर्ण पता.......................
....